

भाग-1

कचरा परिवहन कार्य हेतु जारी 8 करोड़ के टेंडर में मिलीभगत का खेल

शिकायत के बावजूद वित्तीय बिड खोलने पर आमदा नगर निगम बीकानेर के अधिकारी

निविदा की प्रमुख शर्त जिसे फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए हटा दिया गया।

क्र.सं.	शर्त	संलग्न है/नहीं है
1	फर्म का कोई भी रिश्तदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का शपथ-पत्र 50/- रूपये संलग्न है/नहीं है	संलग्न है/नहीं है
2	80 ट्रेक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन, बीमा, चालक के लाईसेंस की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा मशीने वर्ष 2017 के मॉडल से पुरानी न हो। आवेदक/फर्म/संस्था/कम्पनी किराये की मशीनों के साथ निष्पादित अनुबंध की प्रतिया भी प्रस्तुत करेगा, ऐसी स्थिति में भी मशीनों के रजिस्ट्रेशन, बीमा चालक के लाईसेंस की प्रमाणित छाया प्रति पेश करनी होगी।	संलग्न है/नहीं है
3	अपने स्वयं के खर्च पर प्रत्येक ट्रेक्टर पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाने एवं जीपीएस सिस्टम को ट्रैकिंग/जानकारी हेतु निगम परिसर में कम्प्यूटर गय ऑपरेटर लगाया जाने संबंधि शपथ पत्र 50/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।	संलग्न है/नहीं है
4	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (निगमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा शपथ पत्र।	संलग्न है/नहीं है
5	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
6	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
7	बरतु एव रोवा कर (जीएस्टी) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
8	आय कर (गैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
9	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक सत्स्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
10	सरकारी या अर्धसरकारी संस्थाओं में किये गये कार्य का समान प्रकृति के कार्य के अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	संलग्न है/नहीं है

टेंडर की प्रमुख शर्त हटाई

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में कचरा परिवहन कार्य हेतु बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 1 से 80 में कार्य करने के लिए 80 ट्रेक्टर ट्रॉली मय चालक, ईंधन, 3 ट्रिप एवं 02 श्रमिक आपूर्ति हेतु निगम द्वारा 8 करोड़ का टेंडर निकाला गया था, इस कार्य को करने के लिए ठेकेदार को 10 शर्तों की पालना करनी थी जिसमें प्रमुख शर्त में 80 ट्रेक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन, बीमा, चालक के लाईसेंस की प्रमाणित छाया प्रति तथा मशीने वर्ष 2017 के मॉडल से

पुरानी नहीं होने की शर्त थी इसके साथ ही एक अन्य प्रमुख शर्त के अनुसार ठेकेदार को सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं में किये गए कार्य के समान प्रकृति के कार्य के अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक था।

फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में न करें बदलाव

जयपुर. स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों को पत्र लिखकर आरटीटीपी एक्ट के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं। लिखा है कि वित्त विभाग द्वारा जारी मॉडल ड्राफ्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार बिड डॉक्यूमेंट तैयार हो। निदेशालय को पिछले दिनों हूपर, ऑटो टिपर सहित अन्य सफाई उपकरणों की खरीद निविदा में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली हैं। निदेशालय के वित्तीय सलाहकार बलवीर सिंह की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि ऐसी कोई विशिष्ट शर्त न रखी जाए, जिससे किसी फर्म विशेष को फायदा पहुंचे।

स्थानीय निकाय निदेशालय ने फर्मविशेष को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में बदलाव नहीं करने के लिए निर्देश

निदेशालय स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 16/09/2020 को जारी आदेश में सभी स्थानीय निकायों से टेंडर डॉक्यूमेंट में कोई विशेष शर्त नहीं रखने और अन्य शर्तों में बदलाव नहीं करने के निर्देश दिए हैं जिससे कि किसी फर्म विशेष को फायदा हो। परन्तु इसके बावजूद नगर निगम बीकानेर के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए इस निविदा की शर्त संख्या 2 को हटा दिया।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

E-mail : [caodlb@gmail.com](mailto:caodlb@gmail.com)

Fax - 0141 - 2223074/2222403

क्रमांक : प. 6(4) (457) सी/लेखा/DLS/शिका/2020/2865-3077 दिनांक : 16/09/2020

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,  
समस्त राजस्थान।

विषय : नगरीय निकायों द्वारा क्रय किये जाने वाली सामग्री, सेवाओं और संकर्मों (Goods, Services and Works) के उपापन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की कतिपय नगरीय निकायों द्वारा सफाई उपकरणों आटोटिपर/आटोहूपर सहित सामग्री, सेवाओं और संकर्मों (Goods, Services and Works) के उपापन की प्रक्रिया में किसी फर्म विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए निविदा शर्तों में विशिष्ट शर्तों (जो कि फर्म विशेष ही पूर्ति कर सकती है) को जोड़े जाने की निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः प्रकरण में सभी कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि

01. नगर पालिका/परिषद/निगम की उपापन समिति द्वारा RTPP Act 2012 & RTPP Rules 2013 की पूर्ण पालना करते हुए वित्त विभाग द्वारा जारी Model Draft Bidding Document को मद्देनजर रखते हुए Bid Document तैयार किया जावे। उक्त माडल ड्राफ्ट बिडिंग डाक्यूमेण्ट वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाईट [Http://finance.rajasthan.gov.in](http://finance.rajasthan.gov.in) तथा [Http://sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
02. उपापन के समय आपूर्तिकर्ता फर्मों के टर्नओवर, अनुभव इत्यादि की जो शर्त निर्धारित की जाती है, उसमें आपूर्तिकर्ता फर्मों/संवेदकों के टर्नओवर, अनुभव इत्यादि की मात्रा का निर्धारण उपापन की विषयवस्तु की प्रकृति एवम् अनुमानित लागत को मद्देनजर रखते हुए RTPP Act & Rules के प्रावधानानुसार युक्तियुक्त तरीके से किया जावे। देखने में आया है कि टर्नओवर एवम् अनुभव अत्यन्त असामान्य मांगे जाते हैं जिससे किसी फर्म विशेष को अनुचित लाभ मिलने की सम्भावना बढ़ जाती है, फलस्वरूप RTPP Act & Rules द्वारा निर्देशित प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है जो RTPP Act & Rules के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
03. नगर पालिका/परिषद/निगम की उपापन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि वे Bid Document का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करें कि उसमें ऐसी कोई शर्त अंकित नहीं की गई है जिससे किसी फर्म विशेष को लाभ मिलता हो या फिर उपापन की विषयवस्तु की आपूर्ति की प्रतिस्पर्धा सीमित होती हो।

FTL\_2020

04. नवीन यानों तथा स्थावर सम्पत्ति के क्रय, नवीन पद सृजन या रिक्त पदों को भरने, किसी प्राईवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान इत्यादि से पूर्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 (2) के प्रावधानों की पालना में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही बजट में कोई प्रस्ताव सम्मिलित किया जाए।
05. यह भी देखने में आया है कि नगरीय निकायों द्वारा उपापन के लिए केवल निर्माताओं से ही प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में RTPP Rule 2013 के नियम 39 में बोली लगाने वालों की पात्रता के सम्बन्ध में प्रावधान उपलब्ध है।
06. इसके साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ निकायों में EMD इत्यादि जमा करवाने की व्यवस्था यथोचित उपलब्ध नहीं रहती या जमा करने से सम्बन्धित कार्मिक उपलब्ध नहीं रहता। अतः इस कार्य हेतु किसी कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर उसका नाम, पदनाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है।  
उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(बलबीर सिंह)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : फ.6(सि)(457)सी/लेका/DUS दिनांक/2020/ 3078-3200 दिनांक : 16/09/2020  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
03. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकायें।
04. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
05. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(बलबीर सिंह)

वित्तीय सलाहकार

## कुल 6 फर्मों ने तकनीकी बिड में लिया भाग

इस निविदा की तकनीकी बिड में कुल 6 फर्मों ने भाग लिया जिसमे से आयुषी हाईजीन एंड केयर प्रा.लि. की बोली, शर्तों के मानदंड पूरे ना होने के कारण तकनीकी बिड निरस्त कर दी गयी थी। इस प्रकार इस टेंडर में कुल 5 फर्मों को नगर निगम की उपापन समिति ने तकनीकी बिड के लिए योग्य पाया, तकनीकी बिड खोलने पर इनमे से एक और फर्म दरबार वेस्ट कारपोरेशन द्वारा शर्त संख्या 8 के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी अपलोड नहीं करने के कारण वित्तीय बिड हेतु अयोग्य कर दिया गया।

### शिकायत के अनुसार वित्तीय बिड के लिए घोषित 3 फर्मों ने नहीं किया तकनीकी मानदंडों को पूरा।

इस निविदा में भाग लेने वाली एक कम्पनी राजश्री बिल्डर्स ने शिकायत करके अन्य 4 फर्मों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार इन 3 फर्मों के तकनीकी बिड हेतु निर्धारित वांछित कार्य अनुभव, पंजीयन व आवश्यक अभिलेख अपलोड ही नहीं किये गए जबकि राजस्थान उपापन अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी बिड के वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों/अनुभव प्रमाण पत्रों को उसी प्रारूप व अधिकृत जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है, निविदा जारी करने वाला अपलोड से वंचित प्रमाण पत्रों को नियमानुसार निविदा खोलने के पश्चात किसी भी फर्म से पुनः मांगने हेतु अधिकृत नहीं है।

कम्पनी के अनुसार महेश ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा निविदा की शर्त संख्या 10 के अनुसार 20 प्रतिशत राशि का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में राशि अंकित नहीं है, नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र में 20 प्रतिशत राशि के आधार पर अपलोड करना अनिवार्य है।

इसी प्रकार फर्म पर्यावरण सुधार सेवा संस्थान द्वारा भी शर्त संख्या 10 के अनुसार समान प्रकृति के कार्य ( ट्रेक्टर 35 एच.पी. ( हाईड्रोलिक ) का संचालन श्रमिक वाहन डीजल सहित) का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है इस फर्म द्वारा GST रजिस्ट्रेशन 19/02/2020 का लगाया गया है जबकि कार्य अनुभव में वर्ष 2018-19-20 के (VAT ) कार्य प्रदर्शित किये है जबकि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 में VAT के स्थान पर GST लागू कर दिया गया था।

अन्य फर्म सोना एंटरप्राइजेज द्वारा भी शर्त संख्या 10 के अनुसार समान प्रकृति का कार्य ( ट्रेक्टर 35 एच.पी. ( हाईड्रोलिक) का संचालन श्रमिक वाहन चालक डीजल सहित) अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। इस फर्म द्वारा शर्त संख्या 4 के अनुसार जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की समयावधि समाप्त हो चुकी है, तकनीकी बिड में इस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण अपलोड नहीं किया गया।

### शिकायत के बावजूद वित्तीय बिड खोलने पर आमादा नगर निगम बीकानेर के अधिकारी

इस शिकायत के बावजूद नगर निगम बीकानेर के जिम्मेदार अधिकारी इस निविदा की वित्तीय बिड खोलने पर आमादा है। सूत्रों के अनुसार इस टेंडर को किसी एक पार्टी के पक्ष में खोलने के लिए यह सारी कवायद की जा रही है। जिसके लिए साम-दाम-दंड-भेद की निति के तहत अधिकारियों से काम करवाए जा रहे है। कुछ अधिकारी तो जेबें गरम होने के चलते वित्तीय बिड खोलने की फिराक है। कुछ अधिकारी

राजनैतिक दबाव के चलते इस वित्तीय बिड को खोलने को मजबूर है।

#### जिम्मेदार अधिकारी

क्रम	पदनाम	नाम
1	स्वास्थ्य अधिकारी	अभिषेक गहलोत
2	मुख्य लेखा अधिकारी	गोपाल शर्मा
3	उपविधि परामर्शी	नटवर आचार्य
4	उपायुक्त( पश्चिम)	पंकज शर्मा

दिनांक 09.09.2020 को निगम क्षेत्र में पार्स 01 से 80 में 80-वेस्ट-ड्रेडिंग मय प्रालक प्रमाण, मीम टिप एवं मो श्रमिका-आपत्ति निविदा को तकनीकी बिड खोली गई जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	दरवार वेस्ट कॉर्पोरेशन	महेश ट्रेडिंग कॉ.	पर्यावरण सुधार सेवा संस्थान	रोना एण्टरप्राइजेज	राजश्री बिल्डर्स
1.	फर्म का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का शपथ-पत्र 50/- रुपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
2.	अपने स्वयं के खर्चे पर प्रत्येक मशीन पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाने एवं जीपीएस सिस्टम को ट्रेकिंग/जानकारी हेतु निगम परिसर में कम्प्यूटर मय ऑपरटर लगाया जाने संबंधी शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
3.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा शपथ पत्र।	शपथ पत्र संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
4.	कर्मचारी नविव्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
6.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
7.	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।	संतुलन नहीं	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन
9.	सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थाओं में किये गये कार्य का समान प्रकृति के कार्य के अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन	संतुलन

उपरोक्त निविदा में मैरिस दरवार, वेस्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा क्रम संख्या 08 के अनुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र संतुलन नहीं किया है। शेष फर्म तकनीकी बिड की शर्तें पूर्ण करती है। अतः महेश ट्रेडिंग कॉ., पर्यावरण सुधार सेवा संस्थान, रोना एण्टरप्राइजेज तथा राजश्री बिल्डर्स की विधीय बिड खोले जानी प्रस्तावित है।

15/9/2020  
स्वास्थ्य अधिकारी


15/9/2020  
मुख्य सहायिका

15/09/2020  
उपनिधि परामर्शी

401  
उपायुक्त परिचय

### निदेशक,स्थानीय निकाय छुट्टियों पर,कौन सुनेगा क्ररियाद?

इस मामले में परिवादी फर्म द्वारा निदेशालय पर शिकायत की जा चुकी है परन्तु निदेशक स्थानीय निकाय के क्वारनटाइन होने के कारण ऐसे मामलों में सुनवाई नहीं हो रही है जिससे बीकानेर में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और अपनी मनमानी पर तुले हैं।



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905  
E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वास्थ्य / 2017 / 4968

24 अप्रैल 2017

## अनुभव प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि फ़ार्म मैसर्स महेश ट्रेडिंग कोरपोरेशन, जय नारायण व्यास नगर बीकानेर द्वारा नगर निगम बीकानेर में कचरा परिवहन कार्य किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वर्ष	ट्रेक्टर ट्रॉली संख्या	विशेष विवरण
01	2012-13, 2013-14 में दिनांक 28.05.2012 से 30.06.2014 तक	11	वाहन चालक, 4 श्रमिक, डिजल सहित कार्य संतोषजनक रूप से किया गया है।
02	2014-15, 2015-16 में दिनांक 14.08.2014 से 30.06.2014 तक	फरवरी 2016 तक 39 फरवरी 2017 तक 24	वाहन चालक, 4 श्रमिक, डिजल सहित कार्य संतोषजनक रूप से किया गया है।

स्वास्थ्य अधिकारी  
बीकानेर नगर निगम

For Mahesh Trading Corporation  
Proprietor

ATTESTED  
CENTRAL NOTARY  
BIKANER (RAJ)  
INDIA



Scanned with  
CamScanner

**SAY NO TO PLASTIC**



E. mail:-  
palikaabu@yahoo.in  
फोन नं. 02974-235172

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, आबूपर्वत, सिराही (राज0)  
क्रमांक / न.पा.आबू / संस्थापन / 2020 / 031


दिनांक- 28/9/2022

**-:: अनुभव प्रमाण पत्र ::-**

यह प्रमाणित किया जाता है कि गैसरी पर्यावरण सुधार सेवा संस्था अजमेर द्वारा नगरपालिका आबूपर्वत में दिनांक 05.09.2019 से घर-घर कचरा संग्रहण कार्य एवं कचरा परिवहन कार्य का ठेका वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। समस्त वार्डों का कार्य शुल्क आर.एफ.आई.डी. वार्ड पद्धति के आधार पर कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है। जिसके कुल माह 06 की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वार्ड संख्या	राशि	माह	कुल राशि
01	समस्त वार्ड	896500	10	89,65,000

अतः उक्त फर्म द्वारा माह विल राशि 896500/-रुपये में से कटौतियों के पश्चात् भुगतान कर दिया जाता है। साथ ही वर्तमान समय में उक्त फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक चल रहा है।

  
Municipal Board Member  
नगर पालिका, आबूपर्वत

  
पर्यावरण सुधार सेवा संस्थान



Scanned with  
CamScanner

Government of Rajasthan  
Department of Labour  
LICENSE  
Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, 1970 (Contractor)

License No. :- CLC/2018/2/132665

License Fees (Rs.) :- 60.00

Name of Contractor :- SONA ENTERPRISES

Name of Establishment :- LEOCH TRONTEK BATTERY PVT LTD

Address of Contractor :- VILL - NANGALIYA, BHIWADI, BHIWADI, Alwar, Rajasthan.

Total Number of employees employed :- 50


Date of Commencement :- 01/04/2018

Validity of License :- 31/12/2018

To M/s SONA ENTERPRISES grant License under Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, 1970  
(Contractor) Section 18(2) on 19 April 2018.



Seal



Validity unknown

Digitally signed by Somya Kumar  
Yadav

Date: 2018.04.19 17:08:49 IST

Reason: Self A

Location:

Licensing Officer

Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Contractor), Rajasthan

Renewal Details

(No renewal details is available.)